

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश


स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के अधिसूचना संख्या - 69 (17) दिनांक - 29.01.2016 के आलोक में निहित शर्तों के अधीन डा० रजा ईमाम काजमी, प्राध्यापक (मानदेय) के गैर संवर्गीय रिक्त पद पर संविदा/मानदेय के आधार पर मनोरोग विभाग में प्राध्यापक के रिक्त पद पर दिनांक - 08.03.16 के पूर्वा० में अपना योगदान दिए हैं, को अधिकतम तीन वर्षों तक के लिए अथवा प्राध्यापक पद पर नियमित नियुक्ति होने अथवा इनकी 70 (सत्तर) वर्ष की आयु होने तक (जो भी पहले हो) के लिए योगदान की विधि से योगदान स्वीकृत किया जाता है। डा० काजमी, प्राध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि आप प्राध्यापक के पद पर मनोरोग विभाग में कार्य करेंगे।

ह०/-
प्राचार्य

ज्ञापांक:- 557/16
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 08/03/16

- 1) डा० रजा ईमाम काजमी, प्राध्यापक (मानदेय), मनोरोग विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 2) विभागाध्यक्ष, मनोरोग विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 3) प्रभारी प्राध्यापक (प्र०)/पुस्तकालय सचिव, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4) बरसर/लेखापाल/विपत्र लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 5) अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 6) महालेखाकार, बिहार, पटना /प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- 7) कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 8) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- 9) सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को उनके अधिसूचना संख्या - 69(17) दिनांक - 29.01.16 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।


प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर